हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
बअनुवान :– मंदिर श्री बाके बिहारी बनाम राज. सरकार वगैराह
मुकदमां नम्बर 2024/179 (95/2024)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती रतन कौर, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

श्री सी.पी.शर्मा, अधिवक्ता वादी
श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता वादी
श्री एजाज अहमद, अधिवक्ता प्रतिवादी 5, 6

–: आदेश :–

दिनांक :– 15/7/2025

प्रतिवादी संख्या 05 व 6 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के संक्षप में तथ्य इस प्रकार से है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित आराजीयत के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा गया है वह समस्त आराजीयात वाद प्रस्तुतीकरण से पूर्व ही अकृषि कार्य बाबत संपरिवर्तित हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि नहीं होकर अकृषि प्रयोजनार्थ संवरिवर्तित हो चुकी है जिससे यह वाद माननीय न्यायालय के श्रवणधिकारी/क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है। उक्त भूमि का भू–रूपान्तरण होने के आदेश होकर राजस्व रिकार्ड में किस्म अकृषि प्रयोजनार्थ हो चुकी है एवं नगर परिषद् किशनगढ के नाम दर्ज है। जिससे प्रतिवादीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारीज फरमाया जावे।

वादी के अधिवक्ता ने जबाब पेश नहीं कर बहस में लिखित कथन किया है कि वादी माननीय न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि का पूर्व से ही रिकार्डेड खातेदार होने एवं बिना किसी आदेश के व सूचित किये सुन खातेदारी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में त्रूटि से अन्य के नाम अंकन कर दिया जिसकी दुरूस्ती व घोषणा का वाद पेश किया है। वादी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि रिकार्डेड खातेदार की खातेदारी शुदा भूमि को बिना सूचित किये व बिना सुने, बिना उसका नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाना गलत है। नजीरे पेश कर दौराने बहस प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूतो के आधार पर वाद का गुणावगुण निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी के वकील ने बहस में यह भी कथन किया कि वाद पत्र के कथनों में वादी ने स्वीकार किया है कि वाद ग्रस्त आराजी वादी के बजाय प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रही है और बेचान हुआ है और भूमि रूपान्तरण गैर कृषि उपयोग के लिए संपरिवर्तन आदेश होने का कथन किया है जिससे वादी को पूर्ण जानकारी रही है कि वाद की आराजी कृषि भूमि नही रही है और उसका गैर कृषि उपयोग के लिए संपरिवर्तन आदेश हो कर राजस्व अभिलेख में अंकन दर्ज हो गया है जिससे भी दावा दायरे के रोज वाद ग्रस्त भूमि कृषि भूमि नही रही जिससे माननीय न्यायाल व राजस्व न्यायालय को सुनावाई का क्षेत्राधिकार नही रहा जिससे वाद निरस्त फरमाया जावे। वादी ने अपने वाद के परिपेक्ष में 13 नजीरे आर. बी. जे.–2019, सुप्रीम कोर्ट, आर. बी. जे.–2017 पेज संख्या–757 राजस्थान हाई कोर्ट, आर. बी. जे.–2017

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

पेज नं.–09 राजस्थान हाईकोर्ट, डी. एन. जे.–2024 (वोलियम 2) पेज संख्या–1186 एवं आर. बी. जे.–2018 पेज संख्या–376 (एस. सी.), आर. बी. जे.–2020 पेज संख्या–695 (एच. सी.), आर. बी. जे.–2017 पेज संख्या–267 (एच. सी.), डी. एन. जे.–2025 (वोलियन–1) पेज संख्या–285 (एच. सी.), डी. एन. जे.–2023 (वोलियम–1) पेज संख्या–462 (एच. सी.), आर. बी. जे.–2020 पेज संख्या–297 (एच. सी.), आर. बी. जे.–2019 पेज संख्या–393 (एच. सी.), आर. बी. जे.–2018 पेज संख्या–582, 449 (एच. सी.), आर. बी. जे.–2017 पेज संख्या–155 च 164 (एच. सी.), आर. बी. जे.–2018 पेज संख्या–331, आर. आर. टी. –2003 (1) पेज संख्या–647 (एच. सी.), आर. बी. जे.–2017 पेज संख्या–189 जिनमें उल्लेख किया है, जिसमें खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को होने तथा खातेदारी घोषणा व रेकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा के वाद को सुनवाई का अधिकार अनुसूची –3 के तहत राजस्व न्यायालय को होने व दीवानी न्यायालय को क्षेत्राधिकार अन्तर्गत धारा 207 के तहत वर्जित होना आदि बताया है तथा मंदिर मूर्ति के खातेदारी भूमि पर कोई काश्त करे तो मंदिर की ही काश्त मानी जाने व मंदिर शाश्वत नाबालिग होने से उसके अधिकार किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं होने के सम्बन्ध में पेश की गई है। वादी के वकील ने जवाब प्रर्थाना पत्र के कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रा. पत्र के निस्तारण के लिए वाद के अभिवचनों को ही देखना होगा और वाद के अभिवचन जो कि मद सं. 01 से 06 में कथन किए हैं जिससे पूर्णतया जाहिर है कि वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं वाद का कारण प्रतिवादिगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय के अधिकारिता में सुनवाई हेतु उत्पन्न हो रहा है। वादी के वकील ने अपनी बहस में कथन किए कि वाद की आराजी के मूल खातेदार शास्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति बांके विहारी जी महाराज के नाम दर्ज रही है जिनकी भूमि को विधिक प्रावधानों के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति को खातेदारी नहीं दी जा सकती है और राजस्व अभिलेख में दर्ज अंकन को बिना किसी सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश के बिना परिवर्तन कर अन्य के नाम खातेदारी का अंकन दर्ज नही किया जा सकता है और तहसीलदार तथा भूप्रबन्ध अधिकारी को भी राजस्व अभिलेख में दर्ज अंकन को परिवर्तन कर अन्य किसी के नाम अंकन दर्ज करने के अधिकार नहीं है तथा कृषि भूमि के विवादो को सुनने की अधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रालवी में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम रामनेर की ढाणी में वर्किंग जमाबंदी के खसरा नम्बर 2304, 2309 से 2312 कुल रकबा 34–02 बीघा भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 2986 रकबा 0.25 हैक्टयर, 2987 रकबा 0.67 हैक्टयर, 2988 रकबा 0.90 हैक्टयर, 2980 रकबा 0.37 हैक्टयर, 2981 रकबा 0.36 हैक्टयर 2982 रकबा 0.34 हैक्टयर, 2983 रकबा 0.34 हैक्टयर, 2984 रकबा 0.25 हैक्टयर, 2985 रकबा 0.27 हैक्टयर, 2991 रकबा 0.25 हैक्टयर, 2992 रकबा 0.08 हैक्टयर, 2993 रकबा 0.10 हैक्टयर 2994 रकबा 0.26 हैक्टयर, 2995 खसरा नम्बर 2996 रकबा 0.42 हैक्टयर खसरा नम्बर 2290 रकबा 0.50 हैक्टयर भूमि की खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत यह वाद पेश किया गया है। वाद पत्र में वर्णित आराज़ीयत नगर परिषद किशनगढ जिला अजमेर के नाम दर्ज रिकार्ड है जो जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 से स्पष्ट है। उक्त आराजीयत का वर्तमान में कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं होकर आवासिय एवं वाणिज्यक प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। प्रतिवादी 4

अतिरिक्त कलक्टर (मु.), अजमेर

तहसीलदार (एडीए) ने अपने जबाब में भी अंकित किये है, कि ग्राम रामनेर ढाणी के नवीन खसरा नम्बर 2986, 2987, 2988, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996 वर्तमान में नगर परिषद किशनगढा की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि का स्वरूप व किस्म परिवर्तित होकर आवासीय प्रयोजनार्थ, तथा भूमि आवासीय पट्टे व गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में भूमि आ रही है। है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद में वर्णित आराजीयत का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन होकर भूमि वर्तमान में अकृषि उपयोग में आ रही है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पूर्व से ही विवादित भूमि की किस्म में परिवर्तन हो चुका है। जिसका उल्लेख वादी स्वय ने अपने वाद के पैरा संख्या 2 में किया है। जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है, उक्त विवादित आराजीयत का गैर कृषि उपयोग हेतु संपरिवर्तन आदेश पारित होकर नामान्तरकरण चूंकि विवादित भूमि नगर परिषद किशनगढ के नाम वाद दर्ज होने से पूर्व से दर्ज है जिस दिन वाद न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था उस दिन भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ हो रहा था, जिससे उक्त वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। जिससे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपसीव सपठीत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठीत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधित से बाधित होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 15/07/2025 को सारे इजलास सुनाया गया।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर